कोटेशन नोटिस
कार्यालय– जिला न्यायालय चित्रकूट।

पत्र संख्या-- 151 /   दिनांक 20.09.2018

जिला न्यायालय चित्रकूट में शासकीय बुलेरो वाहन संख्या-यू०पी० 96 जी 0119 हेतु नये टायर क्रय किये जाने हेतु कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित किये जाते है। इच्छुक फर्म/संस्था, जरिये ई–मेल/डाक अथवा स्वयं दिनांक 01.10.2018 तक 4.00 बजे शाम तक कार्यालय में उपलब्ध कराये, जिसका ई–मेल, आई.डी. नम्बर dcchi@allahabadhighcourt.in है। कोटेशन में उक्त टायर का विवरण, तथा उत्पाद कर्ता का नाम, माडल एवं स्पेसिफिकेशन का उल्लेख भी आवश्यक है। साथ ही कोटेशन स्वीकार होने पर फर्म/संस्था को अपने खर्च पर वाहन में टायर लगवाने व उससे सम्बन्धित कार्य कराना अनिवार्य होगा। मान्नीय जनपद न्यायाधीश चित्रकूट को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक 01.10.2018 को 4.30 बजे शाम खोले जायेगें। समय अवधि के बाद आने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कोटेशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में आमंत्रित किये जा रहे हैं, बजट प्राप्त होने पर स्वीकृत सम्बन्धित फर्म / संस्था से टायर क्रय किये जाएंगे।

प्रतिलिपिः–

01–सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
02–अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड–1, कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
03–तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
04–अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु ।
05–अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
06–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07–कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं मुनादी हेतु। रक्षक पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।
8– प्रभारी नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय चित्रकूट के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

20.9.18

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला न्यायालय, चित्रकूट।